

Bom

38

**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर**  
**O/o Principal Accountant General (Audit-I) Madhya Pradesh, Gwalior**

दिनांक :27-02-2024

**कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER- 201**

केन्द्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु लागू 'परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना' के अंतर्गत प्राप्त भारत सरकार, कर्मिक, लोक शिक्कयत एवं पेंशन मंत्रालय (कर्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय जापन संख्या 35034/3/2015-स्था.- (डी.) दिनांक 22.10.2019, मुख्यालय के पत्र क्रं. 39-Staff (Entt.I)/184-2014 दिनांक 20.06.2016 द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 23-Staff Wing/2016 एवं पत्र क्रं. 169-Staff (Appt.)/141-2019 दिनांक 24.02.2020 द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14-Staff wing/2020 में दिए गए निर्देशानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गयी तिथि एवं वेतन लेवल में वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाता है:-

In terms of Government of India, Ministry of Public Grievance and Pension (Department of Personnel and Training) Office Memorandum No. 35034/3/2015-Estt.(D) dated 22.10.2019, Headquarter's Circular No. 23-Staff Wing/2016 issued vide letter No.39-Staff(Entt.I)/184-2014 dated 20.06.2016 & Headquarters circular No. 14-Staff wing/2020 received with letter No. 169-Staff (Appt.)/141-2019 dated 24.02.2020 received under Modified Assured Career Progression Scheme, for Central Government Officers/Officials, following Officers are granted financial up-gradation from the date and in the Pay Level shown against their names:-

| Sl. No. | Name, Post & Prmtt No. S/Shri              | Present Pay Level | Financial upgradation granted |            |           | Office                |
|---------|--|-------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
|         |  |                   |                               | Date       | Pay Level |                       |
| 01.     | Ajoy Kumar Srivastava, Retd. AAO (02/5628) | Level-08          | 1 <sup>st</sup>               | 29.04.2010 | Level-09  | Retired on-31.01.2021 |
|         |  |                   | 2 <sup>nd</sup>               | 29.04.2020 | Level-10  |                       |
| 02.     | Vijay Singh Yadav, Retd. AAO (02/5363)     | Level-08          | 1 <sup>st</sup>               | 09.01.2009 | Level-09  | Retired on-30.09.2017 |

1. मुख्यालय के पत्र क्रं. 169-Staff (Appt.)/141-2019 दिनांक 24.02.2020 द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 14-Staff wing/2020 में निहित निर्देशानुसार उक्त वित्तीय उन्नयन उपरान्त वेतन एवं भत्तों तथा पेंशन का वास्तविक लाभ दिनांक 24.02.2020 से देय होगा।

In terms of Headquarters circular No. 14-Staff wing/2020 received with letter No. 169-Staff (Appt.)/141-2019 dated 24.02.2020, the actual monetary benefits of pay and allowances and pension, consequent upon granting financial upgradation, will be admissible from 24.02.2020.

2. उपर्युक्त अधिकारियों को केवल उच्च वेतन लेवल प्रदान किया गया है इससे उच्च पद पर क्रियात्मक/नियमित पदोन्नति नहीं मानी जाएगी।

The above Officers have been granted higher Pay Levels only, which will not be treated as functional/regular promotion.



3. भारत सरकार के उपर्युक्त कार्यालय जापन दिनांक 22.10.2019 के साथ संलग्न अनुलग्नक-1 में वर्णित शर्तों के अधीन परिवर्धित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के अंतर्गत प्रदान किया गया। वित्तीय उन्नयन संबंधित कर्मचारी का व्यक्तिगत होगा। इसका उनके संवर्ग की वरियता से कोई संबंध नहीं होगा।

As per the terms & Conditions mentioned in the Annexure-1 of Office Memorandum dated 22.10.2019, financial Upgradation under MACPS shall be purely personal to the official and shall have no relevance to their seniority position in the cadre.

4. वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प यह आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के अन्दर संबंधित प्रशासन अनुभाग में प्रस्तुत करें।

Option for Pay fixation may be submitted in concerned admin section within a month from the date of issue of this order.

5. यदि किन्हीं परिस्थितियों में प्रदान किये गये वित्तीय उन्नयन में बदलाव/वापस लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है तब वित्तीय उन्नयन प्रदान किये जाने के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली उनके वेतन से की जाएगी।

If the financial upgradation granted is modified or withdrawn under any circumstances, the excess payment due to grant of financial upgradation will be recovered from their salary.

(वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन के आदेशानुसार)

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा.12

क्र. प्रशा.-12/स.-6/फा.14ए/भाग-5/का.आ.-

दिनांक:27-02-2024

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोधित:-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-1) का कार्यालय, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार/प्रशासन, प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.)-1 का कार्यालय, लेखा भवन, मध्य प्रदेश, ग्वालियर आपदा प्रबंधन हेतु।
4. निदेशक, वित्त एवं संचार (लेखापरीक्षा) संचार भवन एनेक्सी होशंगाबाद रोड, मध्य प्रदेश, भोपाल-462011.
5. कल्याण अधिकारी।
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशा-11, 12 (पदक्रम सूची), प्रशा-13 एवं 14, गोपनीय कक्ष, विधि कक्ष, कार्यपालन शाखा, सामान्य अनुभाग, प्रशिक्षण/परीक्षा, ITA.
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing को "Administration Personnel" लिंक एवं इंटरनेट के अन्तर्गत अपलोड करने हेतु।
8. भुगतान एवं लेखा अधिकारी, लेखा भवन, ग्वालियर।
9. श्री नरेश आहूजा, स.ले.प.अ. को इंटरनेट/इंटरनेट संबंधी कार्य हेतु।
10. महामंत्री, ऑडिट वेलफेयर एसोसिएशन।

11. सूचना पटल/गार्ड फाइल।
12. संबंधित कर्मचारी।

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-12